30/5/18

P.O. लोक अदालत कोर्ट में
जनरल ता. दी गई गत आदेश
दिनांक 8/8/18
का पालन हो

लोक अदालत

8-6-18

पत्रावली, मालाब लोक अदालत कैम्प कोर्ट
औरैया में पेश हुई। प्रार्थीगण व अन्य तामील
के बावजूद कोर्ट में उपस्थित नहीं हैं। अभियुक्त
1, 3 एवं 5 कैम्प कोर्ट में उपस्थित होने पर उनको
सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध
रिकार्ड का अवलोकन किया गया। [illegible]
जिला सम्बन्धित वादकारी गण को पत्रावली
एवं न्याय निर्णय द्वारा [illegible] है।
प्रार्थीगण [illegible] अनुतोष की
सुनवाई मूल वाद में [illegible] है। विवादित
भूमि पर अप्रार्थीगण [illegible] होने [illegible]
[illegible] सुविधा का सिद्धान्त एवं अन्तरिम
शान्ति के सिद्धान्त के बिन्दु प्रार्थीगण केवल
अप्रार्थीगण के पक्ष के [illegible] हैं। अतः

रेड
मोती

प्रेषित 12

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रतिवादिगण मदनलाल व अन्य आदि के विरुद्ध इकरारनामा किया जाता है। प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक [illegible] को की जावे। तत्पश्चात समीक्षाधीन लोक मंडल है एवं मुलकात के समय निर्णय शासन लोक अदालत द्वारा मौके पर जारी है। मामले आज में निस्तारित किया गया।	
[illegible]	